भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं464/अनुदेश/2016-ईपीएस दिनांक: 21 दिसम्बर, 2016

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. उत्तर प्रदेश – लखनऊ
2. उत्तराखंड – देहरादून
3. पंजाब – चंडीगढ़
4. मणिपुर – इंफाल
5. गोवा - पणजी

विषयः- मतदान केन्द्रों पर मतदाता फैसिलिटेशन पोस्टर(वीएफपी) का प्रदर्शन - तत्संबंधी

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी मतदाता आसान, आरामदायक और जागरूक ढंग से अपना मत डाल सकें, मतदान बूथ पर मत सुविधा का संवर्धन किया जाए। तथापि, विगत निर्वाचनों के दौरान, आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि अनेक स्थानों पर, संगत मतदान केन्द्र से संबंधित सूचना मतदाताओं के निर्देशन और जानकारी के लिए उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित नहीं की जाती है, जिससे मतदाताओं को मतदान दिवस को भ्रम और असुविधा होती है।

इस संबंध में, यह भी सूचित करना उचित होगा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता जानकारी और सूचना के लिए सही और संगत सूचना का प्रदर्शन किया जाना एक सांविधिक आवश्यकता है। **निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 31 के अनुसार** " मतदान केन्द्र पर व्यवस्थाएं" संबंधी विषय पर निम्नानुसार अधिदेशित किया गया हैः-

" **(1)** प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से दर्शाया जाएगा –

() जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, तो वह मतदान क्षेत्र, जिसके निर्वाचक मतदान केन्द्र पर मतदान करने के पात्र हैं, को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस और ऐसे पात्र निर्वाचकों के विवरण; और

() निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति"

आयोग ने इस मामले की समग्र रूप से समीक्षा की है और निदेश दिया कि सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही मतदान दिवस पर मतदान बूथ पर पहुंचने वाले निर्वाचकों को अधिक सुविधा और जानकारी देने के लिए, निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगाः

1. प्रत्येक मतदान बूथ पर अनुबंध क, ख, ग और घ पर संलग्न किए गए डिजाइन के अनुसार **4**(चार) मतदाता फैसिलिटेशन पोस्टर(वीएफपी) प्रदर्शित किए जाएंगे।
2. पोस्टरों के कलर स्कीम और प्रारूप सटीक तौर पर संलग्न डिजाइन के अनुसार रहेंगे,
3. वीएफपी का आकार इस प्रकार का होगा कि विषयवस्तु आसानी और स्पष्टता के साथ दिखाई दे और मतदान बूथ पर पहुंचने वाले मतदाताओं को बिना किसी कठिनाई के विषय पठनीय हो। पूरी तरह से निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए निम्नलिखित आयाम दिए जाते हैं :

   () वीएफपी सं. **1** और **2**:**27** इंच(ऊंचाई)x **27** इंच (चौड़ाई)

   () वीएफपी सं. **3** और **4**:**27** इंच(ऊंचाई)x **36** इंच (चौड़ाई)
4. वीएफपी प्रत्येक मतदान बूथ के प्रवेश के नजदीक बाहरी दीवार पर प्रदर्शित/चिपकाया/टांका जाएगा।
5. वीएफपी को उनकी क्रम संख्या के अनुसार चिपकाया/लगाया जाएगा अर्थात् वीएफपी सं.**1** के बाद वीएफपी संख्या **2** और इसी तरह से।
6. इसके अतिरिक्त वीएफपी सं.**3** और **4** को मतदान केन्द्र परिसर/स्थल के प्रवेश पर लगाया जाएगा, विशेषतौर से ऐसे स्थानों के मामले में जिसमें एक से अधिक मतदान बूथ हों।
7. वीएफपी का मुद्रण किसी कागज या किसी अन्य उपलब्ध पारिस्थितिकी अनुकूल सामग्री पर किया जा सकता है बशर्ते कि यह लागत में तर्कसंगत हो और प्रदर्शन की समग्र गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न करे।
8. वीएफपी का प्रदर्शन समग्र व्यवस्थाओं का एक अनिवार्य भाग होगा जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान बूथ पर किया जाना होगा।
9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोजित निर्वाचन प्रशिक्षण सत्र के दौरान वीएफपी के प्रदर्शन का उचित तरीका पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट करा दिया जाएगा।
10. सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वीएफपी को दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से प्रदर्शित किया गया है और एक रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को भेजेंगे।
11. इन अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना जिला निर्वाचन अधिकारियों का समग्र उत्तरदायित्व होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को नोट कर लें और इन्हें सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों की जानकारी में लाएं।

कृपया इन अनुदेशों की पावती भेजें।

आपका,

(निखिल कुमार)
निदेशक